[illegible] तथा एकपक्षीय अपील बाबत
[illegible] हेतु समय [illegible] किलि [illegible]
दिया गया पत्रावली दि० 16.5.19 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

16/5/19 [illegible] पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
[illegible] पर है। अतः पत्रावली बाबत
प्रथम कार्यवाही दिनांक 29.5.19
को पेश हो।

29.5.19

[illegible] पेश हुआ। पा[illegible]
[illegible]। अतः पत्रावली बाबत
प्रथम कार्यवाही दिनांक 4.6.19
को पेश हो।

Not press

4.6.19 पक्षकार वादी व वाणपक्षीय उपस्थित
वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को वापस
लेने किया वाला जिले आगे नहीं चलाना
चाहते हैं अतः वाद खारीज खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर
रजिस्टर के बाद तथा बाद तकमील
कार्यवाही नाबाद का रिकार्ड रूबरू (8) किसी
अन्य दि० 4.6.19 को कुर्क न्यायालय
में भुगाया वाला

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner